निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र 1941 (श0)
(सं0 पटना 506) पटना, शुक्रवार, 29 मार्च 2019

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
29 मार्च 2019

अधिसूचना संख्या. 8/2019- राज्य कर (दर)

एस० ओ० 74 दिनांक 29 मार्च 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की अनुशंसा पर, संख्या–544, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा बिहार गजट असाधारण अंक में प्रकाशित वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या 01/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 में एतद्द्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची III-9% में, कॉलम (1) में क्रम संख्या 452P और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
“452Q	कोई अध्याय	आरईपी के निर्माण हेतु किसी प्रोमोटर को किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आने वाले पूंजीगत माल और सीमेंट के अलावा किसी माल की आपूर्ति जिस पर अधिसूचना सं0. 7/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019 में यथा निर्धारित, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप- धारा 4 के अंतर्गत

		माल की प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रोमोटर द्वारा कर अदा किया गया हो स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के उद्देश्य से- (i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो। *(ii)* "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है *(iii)* "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभीप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट , 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो। (iv) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो। (V) यह प्रविष्टि सभी वस्तुओं पर लागू किए जाने हेतु ली जानी है जो यहां दी गई शर्तों को पूरा करती है, चाहे वे इस अधिसूचना में कहीं और किसी अधिक विशिष्ट अध्याय/शीर्षक/उप शीर्षक या टैरिफ मद द्वारा कवर किए जाएं ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रभावी होगी।

[(सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–5) 08)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

29 मार्च 2019

एस० ओ० 74, दिनांक 29 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–5) 08)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 29th March 2019

Notification no. 08/2019- State Tax (Rate)

S.O. 74, Dated 29th March 2019—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub- section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette *vide* number 544, dated the 29th June, 2017namely:-

In the said notification, in Schedule III - 9%, after serial number 452P in column (1) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"452Q	Any chapter	Supply of any goods other than capital goods and cement falling under chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by an unregistered person to a promoter for construction of the project on which tax is payable by the promoter as recipient of goods under sub- section 4 of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), as prescribed in notification No. 07 / 2019- State Tax (Rate), dated 29th March, 2019, published in Bihar Gazette. *Explanation.* For the purpose of this entry,– (i) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (ii) "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP). (iii) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (iv) "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 percent. of the total carpet area of all the apartments in the REP. (v) This entry is to be taken to apply to all goods which satisfy the conditions prescribed herein, even though they may be covered by a more specific chapter/ heading/ sub heading or tariff item elsewhere in this notification.

2. This notification shall come into force with effect from 1st of April, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 08)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 506-571+10-डी०टी०पी०।

Website: http://egazette.bih.nic.in